न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
001/2019(रा.प्रा.प.) (GCMS 2019/00145)	03.09.2019	30.05.2024

अनवान

1. घीसा पिता जगन्नाथ जाति गुरू पेशा घर धन्धा निवासी पाल का खेडा तहसील व जिला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) मृतक के बजाय :–
   - 1/1 प्रहलाद पिता घीसा उर्फ घीसुलाल गर्ग आयु 42 साल जाति गुरू निवासी पाल का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम पितास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
   - 1/2 मुकेश पिता घीसा उर्फ घीसुलाल गर्ग आयु 38 साल जाति गुरू निवासी पाल का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम पितास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
   - 1/3 सुगना पुत्री घीसा उर्फ घीसुलाल गर्ग आयु 32 साल जाति गुरू निवासी पाल का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम कांगनी तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)
   - 1/4 भंवर देवी बेवा घीसा उर्फ घीसुलाल गर्ग आयु 62 साल जाति गुरू निवासी पाल का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम पितास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती कौशल्या पत्नी बद्रीदास जाति बैरागी पेशा घरेलु कार्य निवासी पाल का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–	बीएल गर्ग	प्रार्थी
	चम्पालाल जाट	अप्रार्थी संख्या 1
	भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	अप्रार्थी संख्या 2

राजस्व निगरानी अन्तर्गत नियम 14(04) भू–आवंटन नियम 1970 विरूद्ध भू–आवंटन कमेटी चित्तौड़गढ़ मिसल क्रमांक 1262/1998 नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि–प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के अन्तर्गत खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी को मौजा पाल का खेडा तहसील चित्तौड़गढ़ के आराजी नम्बर 237 रकबा 1.72 हैक्टेयर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई। उक्त भूमि की साबिक आराजी संख्या 102/3 पर कब्जा प्रार्थी घीसा पिता जगन्नाथ गुरू का कब्जा सन् 1968 से चला आ रहा है। इस भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाने में व पत्थर की कोट बनाने में लाखों रूपयों की लागत लगाई व सन् 1968 से निर्बाद्ध रूप से उक्त आराजी संख्या 237 पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। सन् 1998 में सरपंच पद पर रहते हुये अपनी पत्नी के नाम उक्त विवादित भूमि आवंटन करवा ली जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये विपक्षी संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया जो कि रिकार्ड पर है। विपक्षी संख्या 2 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर रहे। संबंधित भू–आवंटन पत्रावली तलब की गई। इस पर प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार से पत्रांक/अभिलेखागार/2019/98 दिनांक 23.10.2019 से प्रकरण में मूल अभिलेख पत्रावली प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में उभयपक्षकारान बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटन कमेटी ने बिना किसी जांच पडताल किये मौजा पाल का खेड़ा तहसील चित्तौडगढ की बिलानाम कृषि भूमि खसरा संख्या 237 में से 1.72 हेक्टर भूमि विधि विरुद्ध तरीके से विपक्षी संख्या 1 को आवंटित कर दी जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्तनीय है। उक्त आराजी साबिक 102/3 पर निगराकार प्रार्थी घीसा पिता जगन्नाथ जी गुरू का कब्जा सन् 1968 से आवंटन दिनांक से चला आ रहा है। उक्त भूमि को काबिज काश्त बनाने में व पत्थर की कोट बनाने में लाखो रूपयों की लागत लगाई व सन् 1968 से निर्बाध रूप से उक्त आराजी नम्बर 237 पर कब्जा काश्त चला आ रहा है व अभी मुंगफली व तली की फसल उक्त आराजियात पर प्रार्थी की खडी है।

उक्त आराजी नम्बर 237 पर सन् 1968 से कब्जा होने से अन् आक्युपोईड लेण्ड नही होते हुये भी आवंटन कर दी गई जो नियम विरूद्ध होकर निरस्तनीय है। प्रार्थी को दिनांक 22.06.1968 को र.न.332/68 फे.र. 347/68 तारीख 24.12.1968 ग्राम पालका का खेड़ा मे आराजी नम्बर 102 में से 12 बीघा भूमि आवंटन हूई एवं कब्जा सिपुर्द किया तब से आज तक निगराकार उक्त कृषि भूमि को काबिज काश्तकार पत्थर की कोट एवं एक तरफ थोहर की बाढ कर रखी है उक्त आराजी पर आज से करीब 51–52 वर्षो से निर्बाध रूप से कब्जा काश्त में है साबिक नम्बर 102 मे से 12 बीघा भूमि का कब्जा दिया तब आराजी नम्बर 102 काफी बड़ा रकबा था उस जगह कब्जे में होकर उपयोग उपभोग में है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेवेन्यु कर्मचारियों ने नक्शा तरमिम करने में भूल की है। वक्त आवंटन किस्म भूमि प. II थी व बाद में जमाबन्दी मे सम्वत् 2029 से 2032 में खसरा संख्या 102/4 करते हुये किस्म मगरी कर दी जो रेवेन्यु कर्मचारियों मनमकसुद ढंग से किस्म मंगरी कर दी जो रेवेन्यु कर्मचारियों की गलती से किस्म मंगरी दर्ज हुई एवं आराजी नम्बर 102/3 की जगह आराजी नम्बर 102/4 अंकित कर दी जो गलत होकर निरस्त किया जाना आवश्यक है एवं रेवेन्यु रेकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में सुधार किया जाना आवश्यक है।

वक्त आवंटन कौशल्या का पति बद्रीदास सरपंच था पंचायत के सरपंच पद में रहते हुये सरपंच अपने नाम अथवा अपने परिवार के सदस्य के नाम व अन्य रिश्तेदारों के नाम भूमि आवंटन नहीं करवा सकता लेकिन सरपंच ने अपनी पत्नी के नाम आवंटन कराया जो पद का दुरूपयोग है व यही कारण है कि अलॉटमेन्ट कमेटी मे सरपंच सदस्य होते हुये भी दस्तखत नहीं किये। सरपंच ने अपने पद का दुरूपयोग कर अपने कार्यकाल में अपनी पत्नी के नाम आवंटन कराया जो विधि विरूद्ध होने से आवंटन निरस्तनीय है।

रेवेन्यु कर्मचारियों ने रेकर्ड में गलत एन्ट्री करने के बाद उक्त साबिक आराजी नम्बर 102/3 को बिलानाम कर मुझ निगराकार का नाजायज कब्जा बता दिया एवं मुझ प्रार्थी निगराकार को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस दिया जिसके मि.न. 379/86 सम्वत् 2043 से आराजी नम्बर 102/3 के रकबा 4 बिघा भूमि पर नाजायज कब्जा हटाने हेतु दिया एवं उसके बाद हर बार धारा 91 का नोटिस बराबर हर साल देते रहे इसके बाद मिसल नम्बर 1193/90 को कार्यवाही की एवं सन् 1995 में भी 202/95 उक्त आराजी में घीसा पुत्र जगन्नाथ का कब्जा होने से नोटिस दिया।

सन् 1996 में बद्रीदास जो कौशल्या का पति है वह सरपंच बन गया व सन् 1998 मे सरपंच पद पर रहते हुये अपनी पत्नी के नाम उक्त विवादित भूमि आवंटन करवा ली जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विवादित आवंटन आदेश दिनांक 26.06.1998 का है आवंटन से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपी के पेश है व निगरानी निगराकार अन्दर मयाद पेश है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी बहक निगराकार विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ भू–आंवटन कमेटी चित्तौडगढ तहसील चित्तौडगढ द्वारा ग्राम पाल का खेडा तहसील चित्तौडगढ की नवीन आराजी नम्बर 237 रकबा 1.72 हैक्टेयर के सम्बन्ध में पारित आदेश निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षीगण को भू–आवंटन पूर्णतया विधि अनुसार संपूर्ण जांच के बाद हुआ है। भू–आवंटन कमेटी के द्वारा विधिवत रूप से उद्घोषणा जारी की जाकर आवंटन कमेटी ने सार्वजनिक तौर पर आवंटन आदेश विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पारित किया गया है। अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्यों के हस्ताक्षर भू–आवंटन पर हैं। कोरम पूर्ण हैं। किसी सदस्य की अनुपस्थिति से भू–आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। बद्रीदास अनुपस्थित हैं अर्थात वह उक्त दिनांक को सरपंच की हैसीयत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से कार्य नहीं कर रहा हैं। भू–आवंटन स्वतंत्रता पूर्वक पक्षपात रहित हुआ हैं।

आवंटन पालना में विपक्षी संख्या 1 को कब्जा सिपुर्द किया गया है जिसपे विपक्षी संख्या 1 आवंटन दिनांक से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। यह भू–आवंटन 15.9.1998 को हुआ हैं जिसे 20 वर्ष हो चुके हैं, 20 वर्षों तक प्रार्थी ने कोई आपत्ती नहीं की अब वह इस भू–आवंटन को निरस्त करवाने का अधिकारी नही हैं।

आराजी नंबर 237 अन ओक्यूपाईड लेण्ड थी आवंटन हई हैं। किसी अतिक्रमी का कुछ भाग पर अतिक्रमण हो तब भी परिमाणिक रूप से वह अन्य ओक्यूपाईड लेण्ड ही मानी जाती हैं। आराजी नंबर 237 पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त भूमि ही आवंटी कौशल्या को पटवार हल्का पाल द्वारा शंकरनाथ, भेरू, लेला आदि की मौजूदगी में कब्जा सिपूर्द किया गया हैं।

आराजी नंबर 237 का प्रार्थी आवंटित भू–भाग से कोई संबंध नहीं हैं, यदि भू–प्रबंध में गलती हुई हैं तो प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का रेग्यूलर वाद प्रस्तुत करना चाहिये, इस आवेदन द्वारा इन्द्राज दुरस्ती नहीं की जा सकती।

आवंटन भूमिहीन को किया जा सकता हैं, आवंटी पात्र थी यह कही आरोप नहीं हैं कि प्रार्थी ने भी आवेदन किया हो कि वह ज्यादा भूमिहीन हो यह वर्णन नहीं हैं, किसी के साथ भेदभाव का आरोप नहीं हैं। आवंटन दिनांक को मात्र सरपंच की पत्नी होना डिस क्वालीफाईड नहीं हैं। सरपंच आवंटन दिनांक को कोरम का नाम नहीं था वह अनुपस्थित था स्पष्ट हैं। पद का दुरुप्रयोग किया आरोप ही गलत व मिथ्या हैं।

प्रार्थी का धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कब्जा हटा दिया गया। प्रार्थी विरोधाभासी तथ्य प्रकट कर रहा है कि उसको आराजी संख्या 102/3 आवंटित हुई है, सेटलमेंट में गलत दर्ज हुई। यहां धारा 91 के तहत कार्यवाही की प्लीडिंग करता है स्पष्ट है कि भूमि अन ओक्यूपाईड है एवं विपक्षी निजी हैसियत से भूमिहीन है। आवंटन की पात्र थी।

भू–आवंटन दिनांक 15.09.1998 को किया गया हैं जिसे 20 वर्ष से अधिक समय हो गया हैं। विपक्षी का आवंटन किसी भी दृष्टि से निरस्त योग्य नहीं है। अप्रार्थी द्वारा भू–आवंटन कमेटी के समक्ष भू–आवंटन होते समय सभी तथ्य रेकार्ड पर थे, अप्रार्थी द्वारा कोई फ्राड, मिस रिप्रजेटेंशन नहीं किया गया हैं, कोई नियम विपरित भी भू–आवंटन नहीं हैं।

प्रार्थी के अनुसार आराजी संख्या 102/3 में 12 बीघा आवंटन है, आराजी संख्या 1027 रकबा 2.61 हैक्टेयर खातेदारी में उसके दर्ज है स्पष्ट है कि आराजी संख्या 237 से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है।

वक्त आवंटन/आवंटन कमेटी में सरपंच नहीं था व अप्रार्थीया के पति के पास मात्र 0.14 हैक्टेयर भूमि ही थी, स्पष्ट हैं अप्रार्थीया भूमिहीन थी। आवंटन सही हुआ हैं। विपक्षीया ने भूमि को काबिल कश्त बनाने में लाखों रू. खर्च कर चुकी हैं। अतः प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का आवेदन सव्यय निरस्त किया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मौजा पाल का खेडा तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 237 रकबा 1.72 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 01 को दिनांक 26.06.1998 को आवंटन करना बताया है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी को मौजा पाल का खेडा साबिक आराजी संख्या 102/3 में से 12 बीघा भूमि जरिये मिसल संख्या 347/68 दिनांक 24.12.1968 से आवंटित हुई है, तब से आराजीयात जैरबहस पर प्रार्थीगण का कब्जा है, जबकि अप्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है भू–आवंटन कमेटी के द्वारा विधिवत रूप से उद्घोषणा जारी की जाकर आवंटन कमेटी ने सार्वजनिक तौर पर आवंटन आदेश पारित किया गया है। भू–आवंटन स्वतंत्रता पूर्वक पक्षपात रहित हुआ हैं। आवंटन की पालना में विपक्षी को कब्जा सिपुर्द किया गया है जिसपे विपक्षी आवंटन दिनांक से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। भू–आवंटन जिसे 20 वर्ष हो चुके हैं, 20 वर्षों तक प्रार्थी ने कोई आपत्ती नहीं की अब वह इस भू–आवंटन को निरस्त करवाने का अधिकारी नही हैं। आराजी नंबर 237 अन ओक्यूपाईड लेण्ड थी आवंटन हई हैं। आवंटन/आवंटन कमेटी में सरपंच नहीं था व अप्रार्थीया के पति के पास मात्र 0.14 हैक्टेयर भूमि ही थी, स्पष्ट हैं अप्रार्थीया भूमिहीन थी। उभयपक्षकारान प्रकरण में उठाये गये तथ्यों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है।

प्रार्थी की और से निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है :–

1. **RRD 1990** पेज संख्या **465**, गोवर्धनसिंह बनाम गुलाब चन्द।
2. **RRD 1982** पेज संख्या **237**, नरजी बनाम अमोलक सिंह।
3. **RRD 1984** पेज संख्या **378**, बोदन बनाम सरकार।
4. **RRD 1982** पेज संख्या **441**, भोगीलाल बनाम आनन्दीलाल।
5. **DNJ 2000** (**Raj.**) पेज संख्या **13**, घासीराम वगैराह बनाम सरकार।
6. **RRT 2021**(**2**) पेज संख्या **1140**, रतना बनाम सोमा लाल।
7. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर (**2024:Rj-jd:11680**) डूंगरसिंह बनाम सरकार वगैराह।
8. **RRT 20218-19**(**Supp.**) पेज संख्या **338**, ननूदा बनाम सरकार।

अप्रार्थी की और से निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है :–

1. **RRT 2016-17(Supp.)** पेज संख्या **271**, सवाराम बनाम धूलाराम।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन/अध्ययन किया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमनेपत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ‘‘**वर्ष 1968 से आराजीयात पर कब्जा**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण है या प्रार्थी के कब्जे की आराजी अप्रार्थीया को आवंटित हुई व अप्रार्थीया को आवंटित भूमि के संबंध में प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गई है तथा निगराधीन आवंटन में कोई फ्राड, मिस रिप्रजेर्टेशन किया होना आदि उठाये हैं ?''

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर जहां तक वर्ष 1968 से आराजीयात पर कब्जा प्रार्थीगण का होकर प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही का प्रश्न है। इसके संबंध में प्रार्थी द्वारा न्यायालय उप–तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 379/1986 अन्तर्गत धारा 91 के नोटिस की छाया प्रति उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा और कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। धारा 91 का नोटिस कृषि वर्ष सवंत् 2043 के बाबत् दिया जाना प्रतिवेदित होता है। नोटिस की छाया प्रति से यह जाहिर आता है कि उक्त नोटिस संवत् 2043 के संबंध में ही रहा है तथा इसमें पूर्व अतिचार के संबंध में किसी भी प्रकार से अंकन नहीं है। नोटिस के अंतिम पैरा में पूर्व अतिचार के संबंध में अंकन नहीं है। जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि प्रार्थी का पूर्व में अतिचार नहीं रहा है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा केवल नोटिस की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में और कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि कब्जा का प्रश्न ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से ही प्रमाणित किया जा सकता है, केवल मात्र मौखिक कथन किया जाकर स्वयं के नाम पर वर्ष 1968 में भूमि आवंटन होने का तथ्य अवगत कराया गया है। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के नाम पर साबिक आराजी संख्या 102/3 में से 12 बीघा होना आवंटन स्वीकार कर बताया गया है कि आराजी संख्या 1027 रकबा 2.61 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है, किन्तु आराजी संख्या 1027 के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई भी तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया है, ऐसी स्थिति में आराजीयात जैरबहस पर अप्रार्थी का कब्जा वर्ष 1968 है इस तथ्य को स्वीकार किये जाने का कोई आधार न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदित नहीं होता है।

प्रार्थी द्वारा न्यायालय उप–तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 379/1986 अन्तर्गत धारा 91 के नोटिस की छाया प्रति उपलब्ध कराई गई है। नोटिस की छाया के अवलोकन से जाहिर होता हैयह नोटिस उप–तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को आराजी संख्या 102/3 रकबा 4 बीघा बाबत् कृषि वर्ष संवत् 2043 का होकर दिनांक 17.09.1986 को जारी किया गया हैं, जबकि निगराधीन आवंटन आराजी संख्या 237 रकबा 1.72 हैक्टेयर का दिनांक 26.06.1998 को किया गया है, तथा पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आराजी संख्या 237 रकबा 1.72 हैक्टेयर साबिक आराजी संख्या 102/3 मीन रकबा 8 बीघा से कायम किया गया है। प्रार्थी द्वारा धारा 91 के नोटिस के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह तथ्य प्रमाणित हो की आवंटित भूमि के संबंध में प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही संपादित की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपने तर्क के समर्थन में प्रार्थी की और से न्यायिक दृष्टांत **RRD 1982** पेज संख्या **237**, नरजी बनाम अमोलक सिंह एवं **RRD 1984** पेज संख्या **378**, बोदन बनाम सरकार एवं **RRD 1982** पेज संख्या **441**, भोगीलाल बनाम आनन्दीलाल प्रस्तुत किये गये है। हमने प्रार्थी की और से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उक्त न्यायिक दृष्टांतों में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि अतिचारी के कब्जे वाली भूमि को तब तक आंवटित नहीं किया जाएगा, जब तक की धारा 91 के तहत कार्यवाही न कर दी जाए। हस्तगत प्रकरण के संबंध में उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार आवंटित भूमि के संबंध में प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही संपादित नहीं की गई है। इसके साथ ही मूल अभिलेख अनुसार आवंटन हेतु उपलब्ध आराजी संख्या 237 रकबा 1.72 हैक्टेयर उद्घोषित आराजी है जिसकी सूची नियम 5 के तहत तैयार होकर अन ओक्यूपाईड लेण्ड की श्रेणी में रही है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण पर न्यायिक दृष्टांत **RRD 1982** पेज संख्या **237**, नरजी बनाम अमोलक सिंह एवं **RRD 1984** पेज संख्या **378**, बोदन बनाम सरकार एवं **RRD 1982** पेज संख्या **441**, भोगीलाल बनाम आनन्दीलाल पूर्ण रूपेण चस्पांगी नहीं होते है।

जहां तक प्रार्थी के कब्जे की आराजी अप्रार्थीया को आवंटित होने का प्रश्न है। अप्रार्थीया को साबिक आराजी संख्या 102 में से बनी हुई का आवंटन हुआ है। अप्रार्थी के नाम पर मौजा पालका खेडा की आराजी संख्या 237 रकबा 1.72 हैक्टेयर का आवंटन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से प्रतिवेदित होता है कि हाल आराजी संख्या 237 रकबा 1.72 हैक्टेयर साबिक आराजी संख्या 102/3 मीन रकबा 8 बीघा से कायम किया गया है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि साबिक आराजी संख्या 102 जो कि काफी बडा रकबा है। मूल अभिलेख पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन के लिये उद्घोषित आराजी संख्या 237 रकबा 1.72 हैक्टेयर आवंटन किये जाने के लिये अप्रार्थीया द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा की गई। रिपोर्ट पटवारी द्वारा स्पष्ट होता है कि उक्त आराजी को आवंटन हेतु उद्घोषित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा कोई भी आराजी संख्या 237 रकबा 1.72 हैक्टेयर पर कब्जे के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि मूल अभिलेख पत्रावली पर संलग्न कब्जा सिपुर्दगी अनुसार आवंटी का आराजीयात का भौतिक रूप से कब्जा सिुपर्द की गया है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी को आवंटी भूमि प्रार्थी के कब्जे में नहीं रही है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को आवंटित भूमि प्रार्थी के कब्जे में होने का कोई ठोस आधार न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदित नहीं होता है।

अपने तर्क के समर्थन में प्रार्थी की और से राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर (**2024:Rj-jd:11680**) डूंगरसिंह बनाम सरकार वगैराह निर्णय दिनांक 07.03.2024 का अवलोकन कराया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे शुदा भूमि का आवंटन हेतु अनुरोध किया गया। इस पर प्रार्थी को खसरा संख्या 134/269 में आवंटन किया गया। जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवंटित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि पर कब्जे के संबंध में कोई भी ठोस दस्तावेज साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं कर पाये है। जिसका विश्लेषण उपरांकित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर (**2024:Rj-jd:11680**) डूंगरसिंह बनाम सरकार पूर्ण रूपेण चस्पांगी नहीं होता है।

हस्तगत प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि निगराधीन आवंटन में कोई फ्राड, मिस रिप्रजेटेंशन किया गया हैं। इस तथ्य को साबित कराये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि वक्त आवंटन कौशल्या का पति बद्रीदास सरपंच था। पंचायत के सरपंच पद में रहते हुये अपनी पत्नी के नाम आवंटन कराया अतः आवंटन निरस्तनीय है। अपने तर्क के समर्थन में प्रार्थी की और से न्यायिक दृष्टांत **RRD 1990** पेज संख्या **465**, गोवर्धनसिंह बनाम गुलाब चन्द, **DNJ 2000** (**Raj.**) पेज संख्या **13**, घासीराम वगैराह बनाम सरकार प्रस्तुत किये गये है। हमने प्रार्थी की और से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उक्त **RRD 1990** पेज संख्या **465**, न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि आवंटन नियम 1970 के नियमों के तहत खातेदारी अधिकारों के प्राप्त हो जाने भूमि के आवंटन को रद्द करने या भूमि के नियमितीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। न्यायिक दृष्टांत अनुसार उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर द्वारा नियम 20(02) के तहत जांच कार्यवाही की गई जिसमें जिला कलक्टर उदयपुर के समक्ष यह तथ्य प्रतिवेदित हुआ है कि आवंटन के संबंध में कब्जे की रिपोर्ट गलत प्रस्तुत की गई है तथा आवंटी नाबालिग होकर छात्र रहा है। इसके साथ ही आवंटी के पिता व्यवसायी होकर ग्राम पंचायत के सरपंच रहे है।

इस संबंध में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि–प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 में व्यवस्था की गई है कि :–

13. Allotment to be in consultation with Advisory Committee. –

(1) All allotment shall be made by the Sub-Divisional Officer in consultation with an Advisory Committee consisting of-

(i) the member of the Rajasthan Legislative Assembly in whose constituency the land is situated:

(ii) the Pradhan of the Panchayat Samiti having jurisdiction

(iii) the Sarpanch of the Panchayat having jurisdiction:

(iv) the Vikas Adhikari of the Panchayat Samiti having jurisdiction:

(v) the Tehsildar of the Tehsil having jurisdiction [x x x]

(vi) a person belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe to be nominated by the Panchayat Samiti from amongst its members, [and]

[(vii) a person to be nominated by the State Government in areas in which such nomination is considered necessary in public interest]:

[Provided that the Sub-Divisional Officer may on receipt of application from a released Sagri who is a [landless agriculturist] allot land to him without consultation with the Advisory Committee after making such enquiries as he deems fit.]

[Provided further that where a member of the advisory committee has an interest in an applicant as his relation or otherwise such member shall not participate in the meeting of the committee.]

हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि अप्रार्थी के पति तत्कालीन सरपंच रहे। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त आवंटन के संबंध में भू–आवंटन सलाहकार समिति में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्थानीय विधायक, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रधान पंचायत समिति एवं अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा भाग लिया गया है। नियम 13(01) के तहत प्रावधित किया गया है कि जहां सलाहकार समिति के किसी सदस्य का किसी आवेदक में उसके रिश्तेदार के रूप में या अन्यथा हित है, वहां ऐसा सदस्य समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा। हस्तगत प्रकरण में संबंधित सरपंच द्वारा नियम 13(1) के परन्तुक अनुसार आवंटन कमेटी में भाग नहीं लिया जाकर आवंटन प्रक्रिया से स्वयं को पृथक किया प्रतिवेदित होता है।

प्रार्थी की और से प्रस्तुत **DNJ 2000** (**Raj.**) पेज संख्या **13**, घासीराम वगैराह बनाम सरकार न्यायिक दृष्टांत अनुसार उक्त प्रकरण में सरपंच आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य होने के उपरांत भी स्वयं, पुत्री एवं दामाद के नाम पर अलग–अलग स्थानों में अलग–अलग तिथियों को आवंटन कराया गया है, जबकि सरपंच स्वयं भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते है, जबकि वह 86.17 बीघा भूमि वक्त आवंटन सरपंच के नाम दर्ज रकार्ड होकर भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते है। इसके साथ ही नियम 13(03) के आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भाग लिया गया है,

हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि अप्रार्थीया के पति तत्कालीन सरपंच रहे। संबंधित सरपंच द्वारा आवंटन कमेटी में भाग नहीं लिया जाकर आवंटन प्रक्रिया से स्वयं को पृथक किया प्रतिवेदित होता है। इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट हल्का पटवारी स्पष्ट है कि अप्रार्थीया के पति के नाम नोशनल शेयर से 0.14 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है तथा भूमिहीन की श्रेणी में आती है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण पर न्यायिक दृष्टांत **DNJ 2000** (**Raj.**) पेज संख्या **13**, घासीराम वगैराह बनाम सरकार पूर्ण रूपेण चस्पांगी नहीं होता है।

प्रकरण में अप्रार्थीया द्वारा अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2016-17(Supp.)** पेज संख्या **271**, सवाराम बनाम धूलाराम प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि आवंटन कमेटी की अनुशंसा पर प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद भूमि आवंटित की नियम 14(04) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र आवंटन के 11 वर्ष बाद पेश किया। प्रार्थना पत्र दुर्भावानापूर्ण था।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवंटन के 20 वर्षो की दीर्घ कालीन अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा इस दीर्घ कालीन विलम्ब के संबंध में प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कथन नहीं किया गया है। इसके साथ ही प्रार्थी का आराजी पर विगत 1968 से ही कब्जा होना बताया गया है, ऐसी स्थिति प्रार्थी का उक्त कथन संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि यदि वह विवादित भूमि पर काश्त कर रहा था तो आवंटन दिनांक के 20 वर्ष पश्चात् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(04) को प्रस्तुत करने का क्या औचित्य था। आवटंन उपखण्ड अधिकारी द्वारा मजमें आम में आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंसाा पर किया गया है जिसमें आवंटन सलाहकार समिति के सरकार एवं गैर–सरकारी सदस्य यथा स्थानीय विधायक, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रधान पंचायत समिति एवं अनुसूचित जाति के सदस्य की उपस्थिति में किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया है जो कि पत्रावली पर उनके हस्ताक्षरों से प्रमाणित पाया गया है, ऐसी स्थिति में 20 वर्ष तक उक्त भूमि के आवंटन का ज्ञान नहीं हो पाने का कथन पूर्णतः मिथ्या प्रतीत होता है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि विवादित भूमि पर उसका कब्जा रहा हो, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण पर न्यायिक दृष्टांत **RRT 2016-17(Supp.)** पेज संख्या **271**, सवाराम बनाम धूलाराम पूर्ण रूपेण चस्पांगी होती है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(04) के तहत किसी प्रकार फ्राड, मिस रिप्रजेटेंशन एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के आधार पर ही निरस्त किया जा सकता है, जबकि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी प्रकरण में इस तथ्य को पूर्ण रूपेण साबित कराये जाने में असफल रहे है कि निगराधीन आवंटन के संबंध में कोई फ्राड, मिस रिप्रजेटेंशन किया गया हैं, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन व आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 1262/1998 दिनांक 26.06.1998 में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के सारहीन, बलहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं अप्रार्थीया का आवंटन यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 को सारहीन, बलहीन व आधारहीन होने से खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 1262/1998 दिनांक 26.06.1998 की पुष्ठि की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के लौटाया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **30.05.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official